MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause 1. There is one amendment (No. 2) by the Minister.

Clause - 1 (Short title and commencement)

SHRI E.V.K.S. ELANGOVAN: Sir, I move:-

That at page 1, line 2, *for* the figure "2005" the figure "2006" be *substituted.*

The question was put and the motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up the Enacting Formula. There is one amendment (No. 1) by the Minster.

SHRI E.V.K.S. ELANGOVAN: Sir, I move:-That at Page 1, line 1, *for* the word "fifty-sixth", the word "Fifty-seventh" be *substituted.*

The question was put and the motion was adopted.
The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.
The Title was added to the Bill.

SHRI E.V.K.S. ELANGOVAN: Sir, I move:-

That the Bill, as amended, be passed.

The question was put and the motion was adopted

_____.

THE PRODUCE CESS LAWS (ABOLITION) BILL, 2006

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI SHARAD PAWAR): Mr. Deputy Chairman, Sir, I move:-

"That the Bill to repeal the Agricultural Produce Cess Act, 1940 and the Produce Cess Act, 1966, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI KALRAJ MISHRA) in the Chair]

Sir, this is a very small repeal Bill. There are certain items which are produced in this country and there was a provision for taxing. The

whole world is giving support to the export of agricultural products. In fact, there are subsidies for export of agricultural products. But in our country, this particular law is there for many years and there is a provision for tax on the export of butter, fish, fruits, ghee, pulses, seeds, spices, tobacco, vegetables, wheat, sheep and lamb wool. The whole world is encouraging exports and giving a number of facilities. But this type of Bill, this type of Act is still there in our country. We have taken a decision to repeal this Bill. Instead of levying taxes, I think, this is time when we should help and encourage farmers. We should provide some sort of help so that the farmer is able to export his produce to international market and he is competitive in the international market.

The question was proposed.

श्री एस. एस. अहलुवालिया (**झारंखड**) : उपसभाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने The Produce Cess Laws (Abotition) Bill ,2006 हैं जिसमें Agricultural Produce Cess Act , 1940 और Produce Cess Act , 1966 को रिपील करने के लिए अनुरोध किया गया हैं। महोदय, जैसा मंत्री महोदय ने बताया कि जब सारा विश्व अनाज की उपज को बढ़ाने के लिए या उसके व्यापार को बढ़ाने के लिए तरह –तरह की सब्सिडी दे रहा हैं या तरह –तरह की सुविधाएं मुहैया करा रहा है, उसी वक्त भारत में ऐसा सेस लॉ हैं , जो पुराना है, उसको हटाने की जरूरत हैं। मैं मंत्री महोदय के इस वक्तव्य से सहमत हूं। कितने उसके साथ- साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि इस पर भी ध्यान दिया जाए कि हम लोगों ने पिछले दिनों देखा कि दालों कि कीमत बढ़ रही हैं। 35 रूपए की दाल 65 रूपए हो गयी हैं। हमारे यहां जो दाल होती है, उससे शायद पूरे भारत की खपत पूरी नहीं होती बल्कि विदेशों से भी हम दाल का आयात करते हैं। ये जो टैक्स लगते हैं , ये निर्यात पर हैं, एक्सपोर्ट पर टेक्स हैं और उसी को एबॉलिश करने के लिए यह विधेयक हैं। एक्सपोर्ट पर टैक्स इसलिए लगाया गया था कि हमारी आत्मनिर्भरता नहीं थी। हम इन चीज़ों मे आत्मनिर्भर नहीं थे इसलिए यह एक्सपोर्ट टेक्स लगाया गया था । माननीय महोदय, आपको याद होगा कि पिछले दिनों प्याज की एक समस्या खड़ी हो गयी थी क्योंकि पहले तो कच्चा प्याज खाया जाता था या कच्चा प्याज सब्जी में डाला जाता था या प्याज के और उपयोग किए जाते थें। किन्तु जब से नयी टेक्नोलॉजी आयी और जब से onion paste **और** onion powder का एक्सपोर्ट होने लगा, हमने देखा कि जितनी हमारी क्षमता है, प्याज की जितनी खपत हमारे भारत में है, उससे ज्यादा प्याज का onion paste और onion powder बनाकर विदेशों में निर्यात होने लगा और हमारे देश की जो जरूरत थी, उसमें कमी आ गयी। आपको पता होगा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार दिल्ली में थी, जो प्याज के आसुंओं के कारण ही बह गयी थी क्योंकि प्याज उस वक्त नहीं मिल रहा था। मुझे याद हैं, उस वक्त ए.के.एंटोनी साहब मंत्री थे और उन्होंने आदेंश दिए थें कि onion paste और onion powder का एक्सपोर्ट बंद किया जाए। Onion paste और Onion powder का एक्सपोर्ट बंद करने से Onion paste और Onion powder को बनाने के वाले बहुत सारे कारखाने भी बंद हो गये थे। महोदय, इसी प्रकार दाल हैं। मैं यह कहता हूं कि अगर मक्खन पर टेक्स है और मक्खन अगर भारत की जरूरत से ज्यादा पैदा हो रहा हैं और वह बाहर जाना चाहिए तो बेशक

जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं हैं । अगर उससे हमारे किसान को अच्छा दाम मिलता है या हमारे प्रोड्यूसर को अच्छा दाम मिलता है, तो जरूर जाए । पर भारत की जनता को, भारत की एक अरब से ज्यादा जनसंख्या को अभावग्रस्त रखकर अगर यह एक्सपोर्ट होता है, तो वह निन्दनीय हैं । इसी तरह गेहूं हैं । हम गेहूं आयात कर रहे हैं । आप इस एबॉलिशन के माध्यम से गेहूं पर से भी सेस एक्ट हटा रहे हैं । आप एज़ ए लॉट – उसमें तम्बाकू भी है, उसमें कॉफी भी हैं, उसमे मक्खन भी है, उसमें अन्य सारी चीजें हैं – उसमें दाल से, गेहूं से और वेजिटेबल से हटा रहे है जिसकी जरूरत भारत को हैं । आज आपके पास उत्तर प्रदेश को देने के लिए गेहूं नहीं था । बहाना यह लगा कि साहब, उसको उठाने नहीं दे रहे हैं या वे उठाकर नहीं ले जा रहे हैं किन्तु उनको मुहैया कराना चाहिए या जिस रेट पर मुहैया कराना चाहिए, वह उपलब्ध नहीं था और ऑस्ट्रेलिया से गेहूं मंगाया गया । आप यहां से गेहूं निर्यात करने की बात कर रहे हैं । आप यह सेस वापस ले लेंगे तो गेहूं भी निर्यात होगा, दालें भी निर्यात होंगी, सब्जियां भी निर्यात होगी जिससे हमारे यहां इन चीज़ों पर महंगाई हो सकती हैं । अभी जब मिड टर्म एप्रेज़ल आया था , टेंथ फाइव ईयर प्लान का, तब देखने में आया था कि हमारी एग्रीकल्चरल ग्रोथ जो है, जो 1980-81 में 3.2 थी , वह 1995-1966 और उसके बाद से कम होती रही, 1.9 तक पहुंच गयी । उसमें दिन- प्रतिदिन कमी होती जा रही हैं । महोदया , इन चीजों को मद्दे –नज़र रखते हुए अगर , as a lot , एग्रीकल्चर सेस लॉ को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सेस लॉ को और प्रोड्यूस सेस लॉ को जिस वक्त आपने रिपील करना था, तो इसमें categorisation किया होता कि इन चीज़ों का फर्क पड़ सकता हैं , क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही जब महंगाई बढ़ी , दालों कि कीमत बढ़ी , चीनी की कीमत बढी तो आपने मीटिंग की और आपका कैबिनेट का डिसीजन हुआ । कैबिनेट के उस डिसीज़न में यह फैसला हुआ कि इन-इन चीज़ो का निर्यात नहीं होगा । अपने निर्यात बंद किया । उसमें आयात चालू किया, इम्पोर्ट चालू किया , क्योंकि हमारी जो खपत है, जो जरूरत है,उसको पूरा करने के लिए बाहर से सामान मंगाया जाए, उसकी खानापूर्ति की जाए और इसका एक्सपोर्ट बंद किया जाए । अगर इन सारी चीज़ों को सामंने रखकर आप देखते हैं, तो मैं समझता हूं कि हमारे देश की जनता है, जो देश के उपभोक्ता है, उनको कष्ट में डाले बगैर अगर आप इसको रिपील करते, हो अच्छा रहता और मैं कहता हूं कि अभी भी अगर रिपील करने जा भी रहे हैं , तो आप इसके बाद जो गाइडलाइन्स बनाएंगे या कोई और नोटिफिकेशन करेंगे, तो उसमें प्रावधान रखें कि दाल, गेहूं , चावल और वेजिटेबल्स,स्पेशली प्याज़ और अगर ऑगेनिक फूड है, तो उसको आप एक्सपोर्ट करते हैं , तो कोई दिक्कत नहीं है, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट है, उसको एक्सपोर्ट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है , किंतु जो चीज़ें रोज़मर्रा की हैं , जो आम जनता की जरूरत की है, उनका एक्सपोर्ट अगर आप विदआउट टैक्स करने लगेंगे , तो सारा एक्सपोर्ट हो जाएगा और हमारे बाज़ार में तेज़ी आ जाएगी, क्योंकि चीज़ें कम उपलब्ध होंगी और मांग ज्यादा होगी, महंगाई बढ़ेगी, उस महंगाई को रोकने के लिए जरूरत हैं यही कहकर मैं इसका समर्थन करता हूं , धन्यवाद ।

श्री अमर सिंह (उत्तर प्रदेश) **:** सर, हाऊस में कोई कोरम नहीं हैं , इसलिए कोई और बिल पास नहीं होना चाहिए या तो कोरम पूरा होना चाहिए । आप देख लीजिए, हाऊस में कोरम नहीं हैं ।

उपसभाध्यक्ष (**श्री कलराज मिश्र**) : मिनिस्टर के रिप्लाई के बाद यह प्रश्न उठाएगा ।

श्री शरद पवार : उपसभाध्यक्ष महोदय, इसमें दो –तीन ईश्यूज़ यहां रेज़ किए गए हैं एक बात तो मैं यह साफ करना चाहता हूं कि हमें इसमें टोटल एप्रोच लेने की आवश्यकता है कि कोई भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जब इस देश में पैदा होता है, तब किसानों को उसकी ठीक कीमत मिलने का अधिकार हैं। आज जो हम नीति अपनाते हैं,यहां शोर्टेज हो, तो हम एक्सपोर्ट पर बैन लगाते हैं। जब कीमतें नीचे जाती हैं , तब संकट में पड़ने वाले किसानों की मदद करने के लिए हम सख्ती से कदम उठाते हैं , ऐसा कभी देखने को नहीं मिलता हैं। पॉलिसी में बदलाव करना हो, तो हमें एक्सपोर्ट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मदद करने की आवश्यकता हैं। आज हिंदुस्तान में कई ऐसी उपजें हैं जिनमें दुनिया में हिंदुस्तान का नंबर बहुत ऊंचा हैं। आप देखिए मिल्क का प्रोडक्शन – आज विश्व में सबसे ज्यादा मिल्क का प्रोडक्शन हिंदुस्तान में होता हैं Banana प्रोडक्शन – आज दुनिया में एक नंबर के banana का प्रोडक्शन हिंदुस्तान में होता हैं। चीनी का बात कीजिए, पिछले दो साल से चीनी का उत्पादन घट गया हैं। आज दुनिया में चीनी के उत्पादन में हिदुस्तान दो नंबर पर हैं, जब एक नंबर पर, दो नंबर पर उत्पादन हम देश में करते हैं और यहां का जो मार्केट है, उस मार्केट की जो टोटल डिमांड है, वह डिमांड पूरी करने के बाद, जब हमारे पास उपज बचती है, तब दुनिया के बाज़ार में बेचने का इंतजाम अगर हम नहीं करेगे , तब मुझे लगता है कि पूरे देश के छप्पन या साठ प्रतिशत गांवों में रहने वाले किसानों को इसकी जबरदस्त कीमत देनी पड़ेगी।

जहां तक प्याज की कीमत बताई गई , यह साल प्याज की पैदावार करने वाले किसानों के लिए बहुत बुरा साल था। इतने बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ कि उनको ठीक तरह से कीमत नहीं मिली और ऐसी परिस्थिति में दुनिया में जहां भेज सकते हो , वहां भेजने का प्रयास करने की आवश्यकता हैं। देश में यह जो कानून था,यह ऐसा कानून था कि इस कानून के माध्यम से जो एक्सपोर्ट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का होता है, इसके ऊपर टैक्स लगाने का इतंजाम किया गया था। आज दुनिया में एक्सपोर्ट के ऊपर कहीं थी टैक्सेज नहीं हैं। आज इंटरनेशनल मार्केट और खास तौर पर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के बारे में इतना कंपीटीटीव माहौल बना हैं कि ऐसी परिस्थिति में जो एक्सपोर्ट होता है, उसको ज्यादा मदद करने की आवश्यकता हैं । जो उपभोक्ताओं की डोमेस्टिक रिक्वायरमेंटस हैं, मैं उनकी आवश्यकता को समझ सकता हूं। यदि ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो सरकार कदम उठाती हैं। पिछले दस सालों से हमारे देश में दालों की कमी है। जब दालों की कमी हैं तो हम इम्पोर्ट करते हैं। इस साल परिस्थिति कुछ और ज्यादा खराब हो गई है, इसलिए कुछ चंद दालें जो यहां से एक्सपोर्ट होती थी, जिनकी डोमेस्टिक मार्किट में डिमांड कम थी, जैसे हमारे मध्य प्रदेश में गुलाबी चना पैदा होता हैं, हमारे देश में गुलाबी चने की ज्यादा खपत नहीं होती हे, लेकिन हमने उसका एक्सपोर्ट भी बंद किया, क्योंकि देश में सेंटीमेंट बदलने की आवश्यकता थी। जब यहां के कंज्यूमर्स के इन्टरेस्ट पर हमला होता है तो उनके इन्टरेस्ट को सेफगार्ड करने की आवश्यकता होती हैं, इसलिए सरकार एक्सपोर्ट पर रोक भी लगा सकती हैं। आज हम देखते हैं कि हमने कुछ महीनों के लिए शुगर के एक्सपोर्ट पर रोक लगाई , हमने गेहूं एक्सपोर्ट पर भी रोक लगाई और दालों के एक्सपोर्ट पर भी रोक लगाई क्योंकि एक विशिष्ट परिस्थितियां पैदा हो गई थी, इसलिए हमने एक्सपोर्ट रोकने का काम किया। लेकिन लॉन्गटर्म में देश के लिए यह नीति ठीक नहीं हैं। हमे इसको स्वीकार करना पड़ेगा कि हमे दुनिया में एक्सपोर्ट करने की इजाजत भी होनी चाहिए। जब हमारे यहां पर कंज्यूमर्स के इन्टरेस्ट को सेव करने की परिस्थिति न हो, तो हमें खुला आयात करने की भी आवश्यकता हो, तब आयात करने के लिए भी इन्क्रेज करना होगा। इससे हम एक तरह का

बैलेंस रख सकेंगे ,ताकि देश के किसानों के हितों की रक्षा कर सकें और इसके साथ ही इस देश मे जो उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर्स हैं , उनके हितों की रक्षा भी कर सकें । इस तरह की नीति को इस देश में स्वीकार करने या इस पर अमल करने में मुझे कोई समस्या दिखाई नहीं देती हैं । आज यहां पर जो कदम उठाए गए हैं कि एक्सपोर्ट के लिए जो टैक्स लगाया था ,1966 से जो टैक्स का प्रावधान किया गया था, आज इस टैक्स की कोई आवश्कता नहीं हैं ,ऐसे कानून दूर करने की आवश्कता हैं, इसको रखने की आवश्यकता नहीं हैं । इसलिए यहां यह बिल रिपील करने का प्रस्ताव इस माध्यम से दिया गया है, जिसको लोक सभा ने स्वीकार किया है । मुझे यह विश्वास है कि इस सदन के माननीय सदस्य इसको स्वीकार करेंगे, साथ ही किसानों की पैदावार को दुनिया की मंडी कैसे मिले, इस माध्यम से हम जो क दम उठाना चाहते हैं , इस पर ठीक तरह से सहयोग करें ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI KALRAJ MISHRA): The question is:

"That the Bill to repeal the Agricultural Produce Cess Act, 1940 and the Produce Cess Act, 1966, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.:

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI KALRAJ MISHRA): We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 5 were added to the Bill. Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI SHARAD PAWAR: Sir, I move:

"That the Bill be returned."

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (Shri Kalraj Mishra): Now Special Mentions. *...(Interruptions)...*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI SURESH PACHOURI): Before that a Bill is there. *...(interruptions)...* It is already listed ..... *(Interruptions)...*

श्री एस . एस. अहलुवालिया : सर, बिल जो तो नहीं लिया जाएगा **...(व्यवधान) ...**

श्री अमर सिहं : आज बिल नहीं लिया जाएगा । सर, **...(व्यवधान) ...**

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sir, it is a very important Bill. *...(Interruptions)...* The BAC has allotted three hours for this. *...(Interruptions)...*

श्री सुरेश पचौरी : सर, यह बिजनेस लिस्टिड हैं...(**व्यवधान**) ...

श्री अमर सिंह : सर, इसके लिए तीन घंटे का समय एलॉट हुआ हैं। ...(**व्यवधान**) ...

एक माननीय सदस्या : आप हाउस को चलने नहीं दे रहे हैं तो हम क्या करें ? ...(**व्यवधान**) ...

श्री अमर सिंह : सर, यह नहीं लिया जा सकता। ...(**व्यवधान**) .. नहीं सर, नहीं लिया जा सकता। ...(**व्यवधान**) ...

उपसभाध्यक्ष (श्री कलराज मिश्र) : जैसा हाउस निर्देशित करें ...(**व्यवधान**) ...

श्री एस.एस. अहलुवालिया : सर , आज सुबह जब लंच ऑवर को भी डिस्पेंस किया गया था । ...(**व्यवधान**) ... आप एक मिनट बात सुन लें। ...(**व्यवधान**) ... उस वक्त यह बात कहीं गई थी किं चूंकि आज राष्ट्रपति जी, संसद म्यूजियम का उद्-घाटन करने वाले हैं, इसलिए सदन जल्दी उठेगा और लंच नहीं होगा, इसी वजह से लंच को डिस्पेंस किया गया था। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आज इसे न लिया जाए। आज 14 अगस्त है, पहले भी BAC में यह डिस्कशन हुआ था, मैं बार –बार इसका उल्लेख नहीं करना चाहता हूं, फिर भी मैं सदन की अनुमति से कहना चाहता हूं कि 14 तारीख को छुट्टी की बात कहीं गई थी, ऐसी रिक्वैस्ट सभी पार्टियों ने की थी ,लेकिन चूंकि आज राष्ट्रपति जी ने म्यूजियम का उद्-घाटन करना है, सांसदों को उसमें उपस्थिति रहना है, इसलिए आज यह रखा गया। हमने दो बिल पास कर दिए हैं। , सिक्योरिटी बिल, एक बड़ा महत्वपूर्ण बिल है, बहुत दिनों से इस पर RBI की recommendations आई हुई हैं, यह उसके ऊपर आधारित है, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस बिल को दूसरे दिन लाया जाए। इसके लिए 3 घंटे का समय एलॉट किया गया हैं। आज पूरा सदन खाली हैं। इस पर अच्छी बहस होनी चाहिए, लोक सभा में यह बिल बिना किसी बहस के पारित हुआ हैं, राज्य सभा में यह बिल, बहस के साथ परित होना चहिए , मेरी गुज़ारिश हैं।

श्री अमर सिंह : उपसभाध्यक्ष जी, हमारे सभी साथी सांसद इस आश्वासन पर चले गए कि आज इस बिल पर चर्चा नहीं होगी। रिक्त सदन में यह तेलुगु देशम के नेता भी आ गए हैं। हम लोग बिल्कुल सहमत नहीं है,क्योंकि अगर हमें यह पता रहता कि यह बिल आएगा, तो हम लोग 3घंटों का सदुपयोग करते ओर चर्चा में हिस्सा लेते। जब BAC मे यह कह दिया गया था कि इस बिल पर विचार नहीं होगा ...(**व्यवधान**) ...

श्री सुरेश पचौरी : उपसभाध्यक्ष महोदय, यदि आज का List of Business देखें या इससे पहले का देंखे , तो यह जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बिल हैं , BAC में तय होने के बाद , आज यह List of Business में आया है और मैं सोचता हूं कि जो भी सम्मनित सदस्य इस बिल पर बोलने के लिए इच्छुक है, मैं यह नहीं कहता कि उनकी उपस्थिति इसमें अनिवार्य थी, लेकिन जो लोग इसमें interested हैं , वे इसमें रह सकते थे। अब रही बात यह कि सदन में यह घोषणा की गई कि इसे आज नहीं लिया जाएगा, मेरी याददाश्त के मुताबिक अगर कोई रिकॉर्ड

है, तो आप चैक कर लीजिए, सदन में यह बिल्कुल घोषित नहीं किया गया कि इसको नहीं लिया जाएगा । माननीय मंत्री जी अपना अन्य व्यस्त कार्यक्रम छोडने के बाद यहां आए हुए हैं, चूंकि यह लिस्टेड है,इसलिए यह उपयुक्त होगा कि इस बिल पर आज चर्चा की जाए और इसे पारित किया जाए ।

श्री एस.एस. अहलुवालिया : संसद चल रही हो, तो मंत्री का दूसरा काम क्या हैं ? दूसरा काम क्या हैं **...(व्यवधान) ...**

श्री सुरेश पचौरी : और भी काम रहते हैं । इन सबके अलावा और भी काम रहते हैं ।

श्री एस.एस. अहलुवालिया : आप यह मत बोलिए, आप यह मत बोलिए कि मंत्री जी सारे काम छोड़कर आए हैं **...(व्यवधान) ...** यहीं prime काम है, दूसरे काम छोड़कर आए हैं, वह बात दूसरी हैं **...(व्यवधान) ...** यह गलत बात हैं **...(व्यवधान) ...**

श्री अमर सिहं : मंत्री जी का काम क्या है, और क्या करेंगे मंत्री जी ? संसद के अलावा मंत्री का काम क्या हैं **...(व्यवधान) ...**

उपसभाध्यक्ष (**श्री कलराज मिश्र**) **:** आप बैठ जाइए **...(व्यवधान) ...** अहलुवालिया जी, बैठ जाइए **...(व्यवधान) ...**

श्री एस. एस. अहलुवालिया : आप संसद का अपमान मत करिए **...(व्यवधान) ...**

श्री सुरेश पचौरी : जब यह लिस्ट में है, तो प्रॉयोरिट समझकर ही वे आए हैं **...(व्यवधान) ...**

श्री एस. एस. अहलुवालिया : आप ऐसी बात मत करिए कि सारे काम छोड़कर वे संसद में आए हैं, संसद Prime duty हैं**...(व्यवधान) ...**

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM) : Mr. Ahluwalia, I agree with you.

उपसभाध्यक्ष (**श्री कलराज मिश्र**) : आप लोग बैठ जाइए **...(व्यवधान) ...**

श्री सुरेश पचौरी : मंत्री जी आए हैं, तो उनका सम्मान करिए । आपका मगर इसमें इंट्रस्ट है,तो सुनिए और इस पर चर्चा करिए **...(व्यवधान) ...** कोई अपमान नहीं कर रहा है, आप चर्चा न करके संसद का अपमान कर रहे हैं **...(व्यवधान) ...** यह क्या बात हैं **...(व्यवधान) ...**

SHRI P. CHIDAMBARAM: Just a minute *...(Interruptions)...* Sir, I agree that Parliamentary business is priority. I have no other business over-riding Parliamentary business. I do not think he meant to hurt you, offend you. ... (*Interruptions)...*

SHRI S. S. AHLUWALIA: No, no, he said that there are other important... *(Interruptions)...*

SHRI SURESH PACHOURI: Then you have the discussion. *...(Interruptions)...*

SHRI P. CHIDAMBARAM: If he has said anything which implied that there was worth more important than Parliament, I withdraw that. I have no more work worth important than Parliament.

श्री एस. एस. अहलुवालिया : जब आप सदन की कार्य वाही समाप्त कीजिए ।

उपसभाध्यक्ष (श्री कलराज मिश्र) : मैं समझता हूं कि **...(व्यवधान) ...**

SHRI P. CHIDAMBARAM: You can start the discussion and continue the debate.

श्री एस. एस. अहलुवालिया : नहीं, आज कैसे यह बिल ले सकते हैं ?

SHRI P. CHIDAMBARAM: Don't pass it today.

उपसभाध्यक्ष (श्री कलराज मिश्र) : मैं इस संबंध में**...(व्यवधान) ...**

श्री एस. एस. अहलुवालिया : यह तो धक्केशाही हैं **...(व्यवधान) ...**

SHRI P. CHIDAMBARAM: You can continue the debate. *...(Interruptions)...*

श्री एस . एस. अहलुवलिया : जब सुबह एक बार एनाउंस कर दिया गया. उसके बाद **...(व्यवधान) ...**

उपसभाध्यक्ष (श्री कलराज मिश्र) : मैं समझता हूं कि इस समय माननीय मंत्री जी, इस बिल को introduce कर दें , बाद में इस पर डिस्कशन हो जाएगा, आज डिस्कशन करके, हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे ।

श्री एस . एस. अहलुवालिया : सर, बिल introduceकरने और न करने का क्या अर्थ हैं ? मैं तो कह रहा हूं कि इस पर 3 घंटे का समय है, डिस्कस कर लेंगे ।

उपसभाध्यक्ष (श्री कलराज मिश्र) : इसमें सदन का निर्देश लेने के पश्चात् अगर हम कोई बात करते हैं , तो इसमें यह चीज़ उभर कर आती हैं , मैं समझता हूँ कि **...(व्यवधान) ...**

श्री एस.एस. अहलुवालिया : नहीं तो क्या करेंगे, क्या वे केवल इंट्रोड्यूस करेंगे ?

उपसभाध्यक्ष (श्री कलराज मिश्र) : वे इस पर भाषण करेंगे ।

श्री एस.एस. अहलुवालिया: नहीं , नहीं । वे भाषण करें, वे एक घंटा बोलें **...(व्यवधान) ...**

उपसभाध्यक्ष (श्री कलराज मिश्र) : फिर इसके बाद में decision लेंगे ।

श्री एस. एस. अहलुवालिया : बिल तो इंट्रोड्यूस्ड हैं **...(व्यवधान) ...**

उपसभाध्यक्ष (श्री कलराज मिश्र) : Consideration के लिए रखेंगे । फिर आप लोगों ने जो बात कहीं है जो वक्तागण नहीं हैं, उनके आने के बाद फिर बोलेंगे ।

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, those who are present should be allowed to speak on the Bill. *...(Interruptions)...*

उपसभाध्यक्ष (श्री कलराज मिश्र) : इन लोगों की कठिनाई यह है कि जो लोग इस बिल पर बोलने वाले थे इस प्रायरिटी **...(व्यवधान) ...**

श्री एस.एस. अहलुवालिया : कठिनाई कुछ नहीं हैं **...(व्यवधान) ...**

श्री अमर सिंह : सर, कठिनाई कुछ नहीं हैं **...(व्यवधान) ...** बीएसी में कहा गया कि ऐसा नहीं होगा ।

उपसभाध्यक्ष (श्री कलराज मिश्र) : इसमें से रास्ता निकालने की कोशिश की गई है कि जो बात उभर कर आई थी, **...(व्यवधान) ...**जिसके अन्दर यह तय किया गया कि आज इस बिल को न लिया जाए, जैसा अभी माननीय सदस्यों ने **...(व्यवधान) ...**

श्री सुरेश पचौरी : सर, मैं बिल्कुल सम्मान से पूछना चाहता हूं कि यह किसने तय किया था कि आज यह बिल न लिया जाए ।

उपसभाध्यक्ष (श्री कलराज मिश्र) : बीएसी के अन्तर्गत ये सारी बातें आई थीं । उसमें यह बात हुई हैं **...(व्यवधान) ...**

श्री एस. एस. अहलुवालिया: यह सेवरे तय नहीं हुआ था?

श्री सुरेश पचौरी : बिल्कुल नहीं ।

श्री एस. एस. अहलुवलिया : एकदम तय हुआ था**...(व्यवधान) ...**

श्री सुरेश पचौरी : बिल्कुल नहीं **...(व्यवधान) ...** आप कह रहे थे कि यहाँ से घोषणा हुई । यहाँ से कोई घोषणा नहीं हुई **...(व्यवधान) ...**

श्री एस. एस. अहलुवालिया : यहाँ से सेवरे घोषणा हुई कि आज सदन जल्दी उठेगा । इसका मतलब क्या हैं ? आज जब लंच सस्पेंड कर दिया गया हैं और यह कहा गया कि लंच में भी काम कीजिए और सदन जल्दी उठेगा, तो इसका मतलब क्या हैं ?

श्री सुरेश पचौरी : इससे ऐसा थोड़े ही होता है कि हम कोई भी गवर्नमेंट बिजनेस आज नहीं लेंगे **...(व्यवधान) ...**

श्री एस. एस.अहलुवालिया:हम कहाँ यह जिद पकड़ रहे हैं कि इसे आज नहीं लेने की बात हैं । बात तो ऐसी हैं कि हमने दो बिल पास किए । यह तीसरा बिल हैं और यह एक बड़ा बिल हैं । इसके लिए तीन घंटे का टाइम allotted हैं । इसके बारे में बात हुई ।

उपसभाध्यक्ष (श्री कलराज मिश्र) : आप बैठ जाएँ **...(व्यवधान) ...**

श्री सुरेश पचौरी : हां इसके लिए जितना समय allotted है और अभी सदन का समय बचा हुआ हैं **...(व्यवधान) ...**

श्री एस.एस. अहलुवालिया : आप बुलडोज़र चला कर इसे पास करेंगे क्या ? **...(व्यवधान) ...**यह एक इम्पोर्टेट बिल है और इस बिल पर बहस होनी चहिए **...(व्यवधान) ...**

श्री अमर सिहं : सर, ये अन्ना डीएमके के नेता है, ये डीएकमे के नेता है, हम समाजवार्दी पार्टी की तरफ से 33 सांसद **...(व्यवधान)...**

उपसभाध्यक्ष (श्री कलराज मिश्र) : सभी दल के लोग इस तरह की बात कह रहे हैं , अगर इसे दूसरे दिन के लिए रखा जाए, तो **...(व्यवधान) ...** नेतागण अपनी बात रख रहे हैं **...(व्यवधान) ...**

श्री अमर सिंह : ये टीडीपी ओर हम समाजवादी पार्टी की तरफ से बोल रहे है. वे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं । हम लोगों को यह कहा गया था कि आज यह बिल नहीं आएगा **...(व्यवधान) ...**

श्री सुरेश पचौरी : रूल्स एंड प्रेसीडेंट्स के हिसाब से लेजिस्लेटिव आइटम्स देने का काम संसदीय कार्य मंत्री का होता हैं । जब लेजिस्लेटिव आइटम होता है, तो उसकी प्रायरिटी रहती हें और जो आइटम लिस्टेड होता हैं, उस पर डिसकसन किया जाता हैं बगैर किसी **...(व्यवधान) ...**

श्री एस.एस.अहलुवालिया : संसदीय कार्य मंत्री जी, क्या ऐसी स्थिति है आज ही पार्लियामेंट खत्म हो जाएगी **...(व्यवधान) ...**

श्री सुरेश पचौरी : यह मेरा humble submission हैं । आगे आप जो निर्णय करें, हमें कुछ नहीं कहना **...(व्यवधान) ...**

श्री एस.एस. अहलुवालिया : आप ऐसा मत सोचिए कि आज ही पार्लियामेंट खत्म हो जाएगी **...(व्यवधान) ...** अगर हमारी असहमति के बावजूद आप इसे पास कराना चाहते हैं, तो यह आपकी इच्छा हैं **...(व्यवधान) ...**

श्री अमर सिहं : आप ऐसा करिए **...(व्यवधान) ...** आप राजकार्य में कुछ भी करिए, लेकिन आज हम लोग विभिन्न दलों के नेता यहाँ बैठे हैं । अगर आज यह बिल नहीं लिया जाएगा तो कोई बात नहीं होगी **...(व्यवधान) ...**

SHRI P.G. NARAYANAN (Tamil Nadu) ; Sir, we were under the impression that this Bill will not be taken up today. *...(Interruptions)...* This can be taken up some other day. *...(Interruptions)...*

प्रो. राम देव भंडारी (बिहार) : सर, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में इस तरह की कोई बात नहीं हुई थी । वैसे आप जो निर्णय करेगे, वह निर्णय मान्य है, अगर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कोई ऐसी बात नहीं हुई थी ।

श्री राशिद अल्वी (**आन्ध्र प्रदेश**) **:** सर, आप मुझे एक मिनट के लिए इजाजत देंगे ? हाऊस की प्रोसीडिंग बीएसी में तय होती हैं कि क्या बिजनेस आएगा और क्या बिजनेस नहीं आएगा । उसी के हिसाब से हाऊस चलता हैं । सर, कोरम पूरा होना चाहिए, लेकिन क्या यह सही है किआज बोलने वाला नहीं है, तो हाऊस एडज़र्न कर दें ? क्या यह मुमकिन हैं ? क्या यह इस हाऊस की बेइज्जती नहीं हैं? सर, मेरा आपसे कहना है, अर्ज़ करना हैं कि हाऊस चलना चाहिए **...(व्यवधान)** ... हाँ , आपको सीखना चाहिए । एक आदमी खड़ा होगा ,तो हाऊस को एडज़र्न कर दिया जाएगा ?

उपसभाध्यक्ष (**श्री कलराज मिश्र**) : मैं स्पेशल मेंशंस लेता हूं ।इसके बाद फिर जैसा होगा, देखेगे । श्री अमर सिंह जी । **...(व्यवधान) ...**

श्री सुरेश पचौरी : मेरी विनम्र प्रार्थना यह है कि लेजिस्लेटिव बिजनेस की हमेशा प्रायरिटी रहती हैं । यह गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव बिजनेस है और यह लिस्टेड हैं । इस पर आप या तो रूलिग दे दें कि इस पर आज चर्चा नहीं होगी । ठीक है, हम इसे स्वीकार कर लेंगे. केवल स्पेशल मेंशंस के बाद आप हाऊस एडज़र्न कर लें । या तो आप हाउस का सेंस ले लीजिए, नहीं तो मेरी प्रार्थना है कि आप लेजिस्लेटिव बिजनेस लीजिए ।

उपसभाध्यक्ष (**श्री कलराज मिश्र**) : स्पेशल मेंशस हो जाने दीजिए ।

श्री सुरेश पचौरी : आप रूलिंग दीजिए कि क्या प्रायोरिटी स्पेशल मेंशंस की रहेगी या गवर्नमेंट बिजनेस की? आप यह रूलिंग दीजिए कि किस रूल के तहत लेजिस्लेटिव बिजनेस को पीछे किया जा रहा हैं ? यही मेरा आप से निवेदन हैं। **...(व्यवधान) ...**

SHRI P.G. NARAYANAN: Sir, you have given a decision, but he is challenging that decision. *...(Interruptions)..,*

उपसभाध्यक्ष (**श्री कलराज मिश्र**) : स्पेशल मेंशंस ले लेते हैं , फिर उस के बाद इस के बारे में चर्चा कर लेंगे । **...(व्यवधान) ...**स्पेशल मेंशंस –श्री अमर सिहं ।

SPECIAL MENTIONS

Need to put check on duplicate goods

श्री अमर सिंह (**उत्तर प्रदेश**) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान देश में निर्मित नकली सामान के कारोबार की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिस में दवा, सौदंर्य प्रसाधन , ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक कल – पुर्जे और दूरसंचार से संबधित उपकरणों के अलावा नकली नोटों तक का अवैध कारोबार एक संगठित व्यवसाय की शक्ल अख्तियार कर चुका है जिस कि सालाना लगभग डेढ़ हजार करोड़ रूपए की क्रय – विक्रय होती हैं । इस का नुकसान उपभोक्ताओं की तो हो ही रहा हैं, खुद प्रतिष्ठित कंपनियों को भी घाटा उठाना पड़ता हैं ।

नकली सामान के धंधे की वजह से सरकार को सलाना करीब 1200 करोड़ रूपए का नुकसान हो रहा हैं । प्रसिद्ध कंपनियों के ब्रांडों की नकल वाले सामान के करोबार का जाल इस कदर फैल चुका है कि बाजार में असली वस्तुओं की पहचान मुश्किल होती हैं । इस धंधे का सबसे